गंगा र कसा 2025/317

	आराजी हाल खसरा संख्या 1162/930/0.0162 है0, 926/422/0.0324 है0, 1160/927/0.0982 है0, 1159/927/0.1932 है0,1161/930/0.0566 है0 वाके ग्राम धोरीमना,पटवार हल्का धोरीमना तहसील धोरीमन्न जिला बाडमेर पर जरिये अन्तरिम अरथाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि अप्रार्थीगण व प्रार्थी उभयपक्ष उक्त **आराजी पर मौके व रेकर्ड की यथास्थिति** बनाये रखें। अप्रार्थीगण प्रार्थी की कब्जा काश्त भूमि में किसी प्रकार की दखल अंदाजी/नया निर्माण आदि नहीं करें। इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है।
	यदि उक्त भूमि बैंक मे रहन है तो बैंक में राशि जमा कराने या अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने व **राजस्थान कृषि साख परिचालन (कठिनाई निवारण) अधिनियम 1974** की कार्यवाही पर उक्त स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होगा।
	अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो कि क्यों नही उक्त अंतरिम आदेश को ताफैसल करते हुऐ अस्थाई निषेधाज्ञा पुष्ट की जावें एवं इस संबंध में कोई उज्र–एतरात हो तो दिनांक 19.09.2025 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करे। सहायक कलेक्टर धोरीमन्ना सहायक कलक्टर SDO धोरीमना
19/9/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली विप्रार्थीगण की तलबी का इन्तजार होकर आईन्दा 21-11-2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर SDO धोरीमना
23/9/25	पत्रावली विप्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पत्रावली आज पेशी पर लेने का प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता को पूर्व सूचित किया गया। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। आज न्यायालय समय में प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को अलग-अलग समय में तीन बार आवाज दिलवाई गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं। इसका तात्पर्य प्रार्थी उक्त आवेदन में कोई कार्यवाही नहीं चाहते [illegible] अतः आवेदन - अन्तरिम आदेश 9 नियम 2 व 3 [illegible] अदम पैरवी में खारीज किया जाकर दाखिल दफ्तर किया जाता है। सहायक कलक्टर SDO धोरीमना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:20:46 IST
Reason: SelfAttested